

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ♦

कॉर्टी समाय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

સુરત-ગુજરાત, સંસ્કરણ સોમવાર, 21 માર્ચ 2022 વર્ષ-4, અંક-54 પૃષ્ઠ-08 મૂલ્ય-01 રૂપયે

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com  www.facebook.com/krantisamay1  www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार



पाएम मादा ने भारत आए जापानी पाएम
को गिफ्ट की कृष्ण पंखी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री पुमियो किशिदा को कृष्ण पंखी उपहार में दिया। ये चंदन की लकड़ी से बना है और इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान् कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंखी को पारंपरिक उपकरणों के जरिए उकेरा गया है और इसके शीर्ष पर हाथ से नकाशी कर तैयार की गई मोर की आकृति है जोकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री पुमियो किशिदा को कृष्ण पंखी उपहार में दिया। ये चंदन की लकड़ी से बना है और इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान् कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंखी को पारंपरिक उपकरणों के जरिए उकेरा गया है और इसके शीर्ष पर हाथ से नकाशी कर तैयार की गई मोर की आकृति है जोकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।

नैतिक मूल्य प्रदान करती है ‘भगवद्गीता’-
बसवराज बोम्मई



कर्नाटक । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सासित राज्य गुजरात के 'भगवद्गीता' को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमर्ई ने कहा कि 'भगवद्गीता' नैतिक मूल्य प्रदान करती है और इसे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला चर्चा के बाद किया जाएगा। गुजरात में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य में कक्षा छठी से 12वीं के लिए भगवद् गीता स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद् गीता को शामिल करने से जुड़े सवाल पर बोमर्ई ने कहा, यह गुजरात में किया गया है और हमारे मंत्री का कहना है कि वह इस पर चर्चा करेंगे। देखते ही कि शिक्षा विभाग क्या विवरण लेकर सामने आता है। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनका इरादा बच्चों को शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अधिक विवरण का खुलासा चर्चा के बाद ही किया जा सकता है। इस बीच, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने मंगलतुरु में कहा कि कांग्रेस भगवद् गीता या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ के जरिए बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के विशेष में नहीं है। उन्होंने कहा, हम सविधान और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। आप उन्हें (भाजपा) भगवद् गीता या कुरान या बाइबिल पढ़ाने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे आज की जरूरत के हिसाब से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इस मामले में सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिए जाने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हर हिंदू परिवार में भगवद् गीता, रामायण और महाभारत से जुड़ी जानकारी दी जाती है और इन ग्रंथों पर आधारित नाटक भी आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा आवश्यक है ।

याथूका जन उल्लंघन इसका कर्ता थाम्पस का महिला विवाह की प्रमुख जेबी मैथर के राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस के बेटे बीजू थॉमस ने तीखी प्रतिक्रिया की है। राज्यसभा सीट से जेबी मैथर का नाम जुड़ते ही पार्टी का वर्ग केवी थॉमस के खिलाफ हो गया। इसके बाद बीजू थॉमस ने कहा कि पार्टी नेतृत्व संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि जेबी मैथर को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी के विभिन्न वर्गों में नाराजगी है। बीजू थॉमस ने तंज कसरे हुए कहा कि जेबी मैथर जैसे लोग पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी में पर्यास नेताओं की कमी है। बीजू थॉमस ने कहा कि महिला कांग्रेस सदस्य मैथर ने लिखा था कि पार्टी को बचाने के लिए मेरे पिता को मार दिया जाना चाहिए। इस बयान से हम सभी को दुख हुआ है। बीजू थॉमस ने यह भी पूछा कि क्या पार्टी की संस्कृति एक निश्चित उम्र पार करने के बाद वरिष्ठ नेताओं को मार देने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर उनके पिता की उम्र या उससे अधिक उम्र के कई लोग हैं। इस बीच केवी थॉमस ने भी अपने बेटे के बयान पर प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा कि ये उनके बेटे की अपनी निजी राय है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर उनके पिता की उम्र या उससे अधिक उम्र के कई लोग हैं। इस बीच केवी थॉमस ने भी अपने बेटे के बयान पर प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा कि ये उनके बेटे की अपनी निजी राय है। बीजू थॉमस ने अपनी राय व्यक्त की। मैं हमेशा एक कांग्रेस कार्यकर्ता रहूगा जो पार्टी के फैसलों का पालन करेगा।

**सीआरपीएफ ने कानून-व्यवस्था
बनाए रखने और आतंक के खिलाफ
जंग में निभाई अहम भूमिका : शाह**

श्रीनगर ।

गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में तेजी से सामान्य हो रही स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि जल्दी ही वह दिन भी मिलता ह। साआरपाएफ जवानों का संबोधित करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 और 35ए को हटाने के बारे में बात की। उन्होंने हर निकसा का सना चार कर रख दिया ह। जो भा फिल्म देखने के सिनेमा हाल के अंदर गया बाहर आयें नम करके लौटा। कश्मीर पंडितों के दर्द को उजागर करती द कश्मीर फाइल्स की कहानी हर किंवदन के दिल को छू रही है। इसलिए सिनेमालॉट में फिल्म देखने के लिये ल

को लेकर बड़ा सुधार देखने का मिला है। सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 और 351 को हटाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा इसका फायदा जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को हुआ है। बता दें कि यह पहली बार है, जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

सोआरपीएफ जवानों का सबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सीआरपीएफ के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐतिहासिक शहर जम्मू में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले माता वैष्णो देवी को प्रणाम करना चाहता हूँ। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वह जगह है, जहां प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक के लिए आंदोलन शुरू किया।

दशकों के प्यार को देखते हुए कहा जा सकता है कि कमाइ का सिलसिला कुछ दिन और जारी रहेगा।

विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ने की 140.95 करोड़ की कमाई

मुंबई

बॉक्स ऑफिस पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कशमोर फाइट की ताबड़तोड़ कमाई जारी है। कश्मीरी पड़ियों के दर्द पर बनी फिल्म हर किसी का सीना चीर कर रख दिया है। जो भी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हाल के अंदर गया बाहर आयेंगे नम करके लौटा। कश्मीरी पड़ियों के दर्द को उजागर करती द कशमोर फाइल्स की कहानी हर किसी के दिल को छू रही है। इसप्रिय सिनेमाहाल में फिल्म देखने के लिये लंबा का हुजूम उमड़ पड़ा है। फिल्म ने 8वें दिन आमिर खान की दंगल पश्चात हुए लगभग 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं 9वें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 24.80 करोड़ रुपये कलेक्शन किया है। शनिवार को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 24.50 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली, जबकि होली पर फिल्म 19.15 करोड़ कमाए थे। अब तक के सारे आंकड़ों को मिलाकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 140.95 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म मिल दर्शकों के प्यार को देखते हुए कहा जा सकता है कि कमाई का

सिलसिला कुछ दिन और जारी रहेगा।

टीआरएस व

हैदराबाद । यूपी में कई स्थानों पर, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर रहे हैं। रास्ते पर आने-जाने वाले लोग सोच में पड़ गए हैं कि उत्तर प्रदेश बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। गौरतलब है कि राव भारतीय जनता पार्टी व रणनीति के लिए प्रशांत की सेवाएं ले सकती हैं, लेकिन इस व अन्य पोस्टर में लगभग सभी गैर-भाजपाई और गैर-कांग्रेसी नेताओं त भगवंत मान शामिल हैं। अन्य नेताओं में शरद पवार, अखिलेश यादव वह उत्तर प्रदेश तथा देश के लोगों को राव के बारे में बताना चाहते थे लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों के लोग ज्यादा लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों के लोग ज्यादा को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और वह अपनी पूरी क्षमता मूर्तरूप नहीं ले पाया है।

अखिलेश की दुविधा विधायक रहे या सांसद अब पार्टी पर छोड़ा फैसला

आजमगढ

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे या फिर आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा देंगे इसका फैसला अगले कुछ दिनों में होगा। शनिवार को सैकड़ई में अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और एमएलसी के चुनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह विधायक रहेंगे या सांसद इसका फैसला अगले कुछ दिनों में करेंगे।

करहल से विधायक अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं को सैफई में बुलाया था। यहाँ उहोंने पार्टी नेताओं के साथ मैनपुरी की दो सीटों पर हार के कारणों की चर्चा की। सपा इसके बार के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर और भोगांव सीट पर चुनाव हार गई है। अपने ही गढ़ में दो सीटों पर चुनाव हारने से सपा की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा है। उहोंने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हसिल करने के लिए फिर से मेहनत की जाए।



लखनऊ में बुलाइ गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस बात का फैसला हो जाएगा कि अखिले शा विधायक रहेंगे या सांसद पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते संभावना इस बात की ज्यादा है कि अखिलेश करहत से

तीआगास कार्यकर्ता द्वे गांधी के चासा कल्याण चंद्रेश्वर यात और पाथांत कियोर के पोस्ट

हैदराबाद । यूपी में कई स्थानों पर, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को देश का नेता बताने वाले और राजनीतिकर प्रशंसित किशोर को बधाई देने वाले पोस्टर चम्पा करवाएँ हैं, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गास्टे पर आने-जाने वाले लोग सोच में पड़ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में राव के पोस्टर किसलिए लगाए गए हैं। राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक कार्यकर्ता ने हिंदी भाषी प्रदेश में अपने नेता की लोकप्रियता बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। गौरतलब है कि राव भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ गठबंधन बनाने की जुगत में लगे हैं। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी चुनाव में टीआरएस चुनावी रणनीति के लिए प्रशंसित किशोर की सेवाएं ले सकती हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। विचित्र बात यह है कि पोस्टर में जहां एक तरफ किशोर को जन्मदिन की बधाई दी गई है, वहां एक अन्य पोस्टर में लगभग सभी गैर-भाजपाई और गैर-कांग्रेसी नेताओं तथा मुख्यमंत्रियों के चित्र लगाए गए हैं। इनमें एम के स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सरोन और भगवंत मान शामिल हैं। अन्य नेताओं में शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी हैं, जिन्हें पोस्टर में जगह दी गई है। हैदराबाद के रहने वाले टीआरएस कार्यकर्ता तेलंगाना साई ने ये पोस्टर लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश तथा देश के लोगों को राव के बारे में बताना चाहते थे कि वह गैर-भाजपा नेताओं के समर्थन से दिल्ली में उच्च पद तक पहुंचने में सक्षम है। साई ने मौदिया से कहा कि राव तेलंगाना और अंध प्रदेश में लोकप्रिय हैं लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों के लोग ज्यादा नहीं जानते। पोस्टर में राव को देश का नेता के तौर पर दर्शाया गया है। राज्य के सिद्धिपेट जिले में हाल में हुई बैठक में राव ने कहा अंध प्रदेश में लोकप्रिय हैं लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों के लोग ज्यादा नहीं जानते। पोस्टर में राव को देश का नेता के तौर पर दर्शाया गया है। राज्य के सिद्धिपेट जिले में हाल में हुई बैठक में राव ने कहा था कि वह राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और वह अपनी पूरी क्षमता का उत्तेजना देश में चीजों को सही करने में करेंगे। किशोर ने हाल में राव से मुलाकात की थी लेकिन अभी तक उनके और टीआरएस के बीच कोई समझौता मूरुरूप नहीं ले पाया है।

कर्नाटक की शैक्षणिक संस्थाओं में मध्य सत्र में अचानक पैदा हुए हिजाब विवाद का पटाक्षेप कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हो जाना चाहिए। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है। साथ ही इसे संवैधानिक अधिकार बताने वाली छात्राओं की याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म लागू करना कानूनी दृष्टि से उचित है। इससे संविधान में दी गई निजता व अभियक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता। दरअसल, कर्नाटक स्थित उडुपी के दो सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कुछ छात्राओं ने कालेज प्रबंधन द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही इसे पहनना संवैधानिक अधिकार बताया था। कालांतर इस मामले को तीन जजों की पीठ को सौंपा गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल जजों न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित व न्यायमूर्ति जे.एम. काजी ने 25 फरवरी तक सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ ने निष्कर्ष दिया कि व्यक्तिगत अभिरुचि शैक्षणिक अनुशासन का अतिक्रमण नहीं कर सकती। इस फैसले का केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने स्वागत किया। कहा गया कि देश-राज्य की प्रगति के लिये प्रतीकात्मक विवादों से परे छात्रों को अपने मुख्य कार्य पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वहीं छात्राओं के वकील का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट ले जायें। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि धर्म व उसकी मान्यताओं से इतर संविधान सर्वोच्च है। दरअसल, फरवरी के मध्य में जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू डॉलेज फॉर वीमेन की छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया तो उन्होंने कॉलेज प्रशासन के फैसले को नहीं माना और अदालत की शरण ली थी। जब इस मामले का विरोध हुआ तो कुछ छात्र भगवा शॉल डालकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल, अचानक 37 इस विवाद को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। कालांतर यह प्रकरण उडुपी से निकलकर पूरे कर्नाटक और फिर पूरे देश में विवाद का केंद्र बन गया। इस दौरान कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी मुद्दे की तपशि महसूस की गई। तब इस विवाद के मूल में राजनीतिक निहितार्थों की बात कही गई। मामले ने तूल पकड़ा तो कई राजनीतिक दल भी इसमें नफा तालाशने लगे। तभी मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने भी कहा कि अकादमिक सत्र के बीच में अचानक यह मुद्दा क्यों उठा? लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। निस्संदेह, अशांति पैदा करने व सद्व्यवहार को प्रभावित करने के लिये ऐसा किया गया। वहीं राज्य सरकार कहती रही है कि पहले से तय यूनिफॉर्म ही कालेज में पहनी जा सकती है।

साथ हो लड़कियों का छूट दो गई तक वे स्कूल आते-जात वक्त हिजाब पहन सकती हैं मगर कक्षा में इसे उतारना होगा जिसे छात्राओं ने स्वीकार नहीं किया। कालांतर कर्नाटक के कई स्कूल-कॉलेजों में हिजाब के समर्थन व विरोध में प्रदर्शन हुए। कुछ जगह तो डिफ़ोड़ व पथराव की घटनाएं भी हुईं। स्कूल, कॉलेज बंद किये गये और राज्य में निषेधाज्ञा लागू की गई। वहीं इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद कुछ कानून के जानकारों ने इसे धर्म से इतर व्यक्तिगत अधिकार का मुद्दा बताया। साथ ही कहा गया कि ड्रेस कोड निर्धारित करना स्कूल का अधिकार तो है लेकिन इसके क्रियान्वयन से मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसे संस्थान की स्वतंत्रता व निजी स्वतंत्रता का दब्द बताने लगे। वहीं बुद्धिजीवी कहने लगे कि हिजाब के पक्ष व विरोध में खड़े छात्रों का पहला काम पढ़ाई करना है।

आज के कार्टन



पुरोपकार

श्रीराम शर्मा आचार्य

मैंने यार दिया पर बदला मुझे क्या मिला?' ऐसे विचार करने में उतावली न कीजिए। बादलों को देखिए, सारे संसार पर जल बरसाते फेरते हैं, किसने उनके अहसान का बदला चुका दिया? बड़े-बड़े भूमि खुंडों का सिंचन करके उनमें हरियाली उजाने वाली नदियों के परिश्रम कीमत कौन देता है? हम पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते हैं, और उसे मल-मूत्र से गंदी करते रहते हैं, किसने उसका मुआवजा अदा किया है? वृक्षों से फल, छाया, लकड़ी पाते हैं पर उन्हें वया कीमत देते हैं? परोपकार स्वयं में बदला है। जब आप उपकार करने का अनुभव स्वयं करेंगे तो देखेंगे कि इश्वरीय वरदान की तरह यह दिव्य गुण स्वयं की कितना शांतिदायक है, हृदय को कितनी महानता प्रदान करता है। उपकारी जानता है, 'मेरे कार्यों से जितना लाभ दूसरों का होता है उससे कई गुण स्वयं मेरा होता है।' ज्ञानवान पुरुष जो कमाते हैं, दूसरों को बांट देते हैं, सोचते हैं कि प्रकृति जब जीवन वस्तु मुफ्त दे रही है, तो अपनी फालतू खीजें दूसरों को देने में कंजूसी क्यों करें? बुरे दिनों और वेपति की घड़ियों में भी परोपकार के दिव्य गुण का परित्याग मत कीजिए। जब आप किसी को भौतिक पदार्थ देने में असमर्थ हों तो भी सद्ग्रावनाएं-शृभकामनाएं देते रहिए। निःस्वार्थ भावना से जीवन व्यतीत करन वाले के लिए संसार में निरुत्साह, पश्चाताप और दुन्ह की कोई व्यापत नहीं है। जरा सी बात के आवेश में लड़ने-मरने पर उतारु मत हूँजिये वरन विरोधियों पर दया-प्रेम की बग्रा करते रहिए। सद्ग्रावना से देव्य-दृष्टि मिलती है। जिसके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति सद्ग्रावना भरी है, यथार्थ में वही दिव्य ज्ञान का अधिकारी है। मनुष्यों में देवता वह है, जो पवित्र है, निःस्वार्थ, प्रेमी, त्याग भावी है। शारीरिक स्वाथरे का परित्याग करने के उपरांत जो संतोष प्राप्त होता है, वह चक्रवर्ती राजा हो जाने के सुख से भी हजारों गुना अधिक है। इसलिए स्वार्थ त्यागने का अभ्यास आरंभ कीजिए। ज्ञान द्वारा पाशविक कंजूस वृति को काबू में लाने का प्रयत्न करिए। तुच्छ स्वाथरे के गुलाम बनने से इंकार कर दीजिए। नम्रता, भलमनसाहत, क्षमा, दया, प्रेम और त्याग भावना को धारण करने से हृदय में शात शांति का अविर्भाव होता है। स्वार्थरहित प्रेम के महान नियम में अपने को कंद्रस्थ करना मानो संतोष, शीतलता, वेश्वाम और ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर पदार्पण करना है।

रीघ-सहज न्याय का मंदिर है उपमोक्ता आयोग!

(लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन

प्रायः न्यायालयों में तारीख पर तारीख दी जाती है, जिसकारण वादाकारियों की चप्पलें तक धिस जाती है दीवानी न्यायालय के बारे में तो कहावत है कि दावा दादा करता है तो न्याय पोते को मिलत है इस मिथक को तोड़ने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हालांकि यह काम यानि तारीख पर तारीख न देकर शीघ्र सहज न्याय देने का काम देश की उपभोक्ता अदालतें, जो अब आयोग के रूप में परिवर्तित होकर उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रही है हम कह सकते हैं, समय के साथ उपभोक्ताओं की सोच में भी अब बदलाव आया है अब खरीदी गई वस्तु के खराब निकलने पर सिर्फ अफसोस व्यक्त करके उपभोक्ता घर नहीं बैठता, बल्कि दुकानदार से शिकायत करने के साथ ही खराब वस्तु को बदलवाने के लिए उपभोक्ता आयोग तक का दरवाजा खटखटाता है इसी प्रकार खरीदी गई किसी सेवा में कमी मिलने पर उपभोक्ता अपने साथ हुए अन्याय के लिए प्रतिवालन करने लगा है और विभिन्न मंचों पर न्याय के लिए जाने लगा है उपभोक्ता के साथ कोई भी ठगी या सेवा में कमी न कर पाए, उपभोक्ता को कोई धोखा न दे सके, कोई दुकानदार या सेवा प्रदाता झूठी सर्व्वत्र बातें करके किसी को खराब गुणवत्ता का सामान न बेच सके और किसी को खराब सेवा न दे सके। इसके लिए सभी को जागरूक रहना आवश्यक है। उपभोक्ता आयोग एक ऐसा न्याय का मंदिर है जहाँ आप सुगमता से न्याय मांग सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2019 की अधिसूचना भारत सरकार ने 15 जुलाई 2020 को जारी कर दी थी जिसके तहत 20 जुलाई सन 2020 से उक्त संशोधित कानून प्रभावी हो गया था। इस बदले कानून से उपभोक्ताओं को शोषण और अन्याय से मुक्ति मिल रही है। इस कानून में किये गए बदलाव से उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के क्षेत्र में नई पहल का सूत्रपात हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता कही से भी उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस कानून में उपभोक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए साथ ही पुराने नियमों में सुधार की कोशिश भी की गई है। जैसे सेंट्रल रेगिस्टर का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी दंड और ई-कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्तक दिशानिर्देश इस नये कानून में शामिल किये गए हैं उपभोक्ता अब कहीं से भी यानि जहाँ वह निवास करता है या जहाँ से उसने सामान या सेवा खरीदी है, में से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज

करा सकता है। उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें गठित हैं जिन्हें आयोग के रूप मान्यता दी गई है नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालतों के मुकाबले जिला अदालतों तक पहुंच जाया होती है। इसलिए अब जिला उपभोक्ता अदालतें 50 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं जिला आयोग को एक करोड़ रुपये मूल्य के बादों की सुनवाई का अधिकार था, जो अब घटाकर 50 लाख रुपये तक किया गया है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत कहीं से भी दर्ज कर सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था, जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है या फिर उसकी कोई शाखा या कार्यालय जहां मौजूद है। ई-कॉमर्स अर्थात् ऑनलाइन से बढ़ती खरीदारी को देखते हुए यह उपभोक्ताओं के हित में यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए भी सुनवाई में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय दोनों बच सकेंगे और उसे न्याय भी जल्दी मिल सकेगा। उपभोक्ता कानून के इतिहास का अवलोकन करें तो पता चलता है कि सन 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेरर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई थी और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। भारत में उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता आदोलन का यह प्रथम प्रयास कहा जा सकता है वहीं स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई समय के साथ अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आदोलन देश में आगे बढ़ता रहा और सन 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और जो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में सन 1993, सन 2002 व 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित उपभोक्ता अदालतों के आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 72 के अधीन कारावास व दण्ड का प्रावधान किया गया है। नए कानून में उत्पाद व विक्रेता कंपनी की जवाबदेही तय की गई है। उत्पाद में निर्माण त्रुटि या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाली

कंपनी को हर्जाना देना होगा। यानि निर्माण त्रुटि में खराबी के कारण प्रेशर कुकर के फटने पर उपभोक्ता को चोट पहुंचती है तो उस हादसे के लिए कंपनी को हर्जाना देना होगा। पहले उपभोक्ता को केवल कुकर की लागत मिलती थी। उपभोक्ताओं को क्षति पूर्ति के लिए भी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था जिससे मामले के निपटारे में सालों साल लग जाते थे पहले कंपनियां अनैतिक तरीके से कोर्ट से तारीख पर तारीख ले लेती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ताओं को 90 दिन की समय सीमा में न्याय मिल जाना चाहिए हालांकि इसमें प्रायः थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है पहले जहां से उपभोक्ता ने सामान खरीदा था, वहीं के उपभोक्ता फोरम में बाद दायर करना होता था। अब उपभोक्ता कहीं से भी सामान खरीदा हो, यदि उसमें खराबी है तो उसकी शिकायत घर या काम की जगह के आसपास के उपभोक्ता अदालत में कर सकता है। इस नये कानून का सबसे ज्यादा असर ई-कॉर्मर्स बिजनेस के क्षेत्र में होगा। अब इसके दायरे में सेवा प्रदाता भी आ जाएंगे। 'उत्पाद की जवाबदेही' अब निर्माता के साथ सेवा प्रदाता और विक्रेताओं पर भी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि ई-कॉर्मर्स साइट खुद को एग्रीगेटर बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती है। 'ई-कॉर्मर्स कंपनी यों पर सीधे बिक्री पर लापू सभी कानून प्रभावी होंगे। अब अमेजन, पिलपकार्ट, स्नैपडील जैसे व्यापारिक मंच को विक्रेताओं के ब्योरे का खुलासा करना होगा। इनमें उनका पता, वेबसाइट, ई-मेल इत्यादि शामिल करना जरूरी है। ई-कॉर्मर्स फर्मों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर किसी तरह के नकली उत्पादों की बिक्री न हो। अगर ऐसा होता है तो कंपनी पर दंड लग सकता है, क्योंकि ई-कॉर्मर्स प्लेटफॉर्मों पर नकली उत्पादों की बिक्री के मामलों की शिकायतें मिलती रही हैं। कानून में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथरिटी (सीसीपीए) नाम का केंद्रीय रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है यह उपभोक्ता के अधिकारों, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन और नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों को देखेगा और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित हो जाने के बाद कंपनियों पर इस बात की जिम्मेदारी अब और ज्यादा होगी कि उनके उत्पादों के विज्ञापन भ्रामक न हों और उनके उत्पाद दावों के अनुरुप ही हों वही नई विधिक व्यवस्था में राज्य उपभोक्ता आयोग की आर्थिक शक्ति थोड़ा कम की गई है पहले राज्य आयोग को 10 करोड़ रुपये मूल्य तक की उपभोक्ता शिकायत सुनने की शक्ति थी, जिसे घटाकर 2 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

अब मंडराता जैविक युद्ध का खतरा

ज्ञानेन्द्र रावत

इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि मौजूदा समय में दुनिया में यूकेन-रूस युद्ध के चलते यदि सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वह है पर्यावरण को। इतिहास इसका जीवंत प्रमाण है इसका मानव जीवन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसकी संभावना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल ढहने लगता है। सबसे बड़ी विता का कारण तो यही है। उस हालत में, और जबकि धरती पहले ही से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, यह खतरा और बढ़ जाता है। फिर युद्ध में परमाणु और जैविकीय हथियारों के उपयोग की आशंका से समूची दुनिया पर भयावह खतरा मंडरा रहा है जाहिर है कि यदि ऐसा हुआ तो समूची दुनिया बहुत बड़े स्तर तक प्रभावित होगी और उसे भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा। असलियत में युद्ध कहें या सशस्त्र संघर्ष कहें, उसमें समूचे पर्यावरण की प्रकृति ही खत्म हो जाती है। इसमें दो राय भी नहीं कि युद्ध का परिणाम दीर्घालिक होता है। युद्ध के दौरान वहाँ बमों की बरसात होती है, वहाँ बमों के रसायनों से वहाँ की पारिस्थितिकी ही काफी बदल जाती है। उसका अहम कारण यह है कि बमों में प्रयुक्त रसायन हवा में घुलकर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं। इससे प्रकृति प्रभावित होती है और वहाँ पर लाले समय तक खेती कर पाना संभव नहीं होता। गोरतलब यह है कि किसी भी इलाके में पर्यावरण संरक्षण की आशा तभी की जा सकती है

जबकि वहां स्थायी रूप से शांति स्थापित हो। यह सुशासन की कीमत पर ही संभव है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी उसी दशा में हो सकती है। जहां तक जैविक हथियारों का सवाल है रूस, यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में अमेरिका के सहयोग से 26 जैविक अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। वहां खतरनाक वायरस का भंडार है, जिनको अमेरिका युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका के सहयोग से 30 देशों में 336 जैविकीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। अमेरिका भी यह मान चुका है कि यूक्रेन में जैविक हथियारों की प्रयोगशालाओं को पैटागन आर्थिक सहायता दे रहा था और जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का एक जरिया है। अमेरिकी उप-विदेश मंत्री विक्टोरिया नूरैंड की स्वीकारकिं इस आरोप का जीता-जागता सबूत है। चीन ने भी अमेरिका पर यूक्रेन के जरिये जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है और कहा है कि वह यूक्रेन में जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। देखा जाये तो जैविक हथियारों का युद्ध में शत्रु देश या आतंकी गुटों द्वारा इस्तेमाल की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण कम लागत में आसानी से उत्पादन और इसकी मारक क्षमता का सबसे ज्यादा घातक होना है। ये हथियार युद्धक अभिकारकों की घातकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनमें कई तरह के वायरस, फंगस और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है।



और लाखों लोग अनवाही मौत के मुहूर में चले गये। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिंगड़ी सो अलग, जो अभी तक सुधर नहीं पायी है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अपरिका, जर्मनी, चीन और रूस सहित 17 देश जैविक हथियारों से सम्पन्न हैं। वह बात दीगर है कि वह इस सत्य को अस्वीकार करें और जैविक हथियारों के निर्माण की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जबकि 26 मार्च, 1975 को 22 देशों ने बायोलॉजिकल वैपन्स कन्वेशन और जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत जैविक हथियारों के निर्माण पर पाबंदी के समझौते पर सहमति दी थी और आज इसमें 183 देश शामिल हैं। अब जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध को दो समाह से अधिक हो चुके हैं और जिसके कई दौर की बातचीत के बावजूद जल्दी खत्म होने के आसार भी नहीं हैं। वह युद्ध जो अभी तक हवाई हमले, मिसाइल और टैंकों तक सीमित था, अब परमाणु और जैविकीय युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इसकी आशंका दिन-ब-दिन और बलवती हो रही है।

सु-दोकू नवताल -2073

3			2		5			1
6								7
	1	5					6	9
9				4				2
	3	9			6	7		
7			8					5
	8	1				2	5	
2								9
5			1		7			8

सू-दोकू 2072 का हल								
1	8	5	3	2	7	4	9	6
2	9	7	5	6	4	3	8	1
6	3	4	9	8	1	2	7	5
5	4	1	6	9	3	8	2	7
3	2	6	1	7	8	5	4	9
8	7	9	2	4	5	6	1	3
9	5	3	8	1	2	7	6	4
4	1	8	7	3	6	9	5	2

सूटोफू 2072 का हल								
1	8	5	3	2	7	4	9	6
2	9	7	5	6	4	3	8	1
6	3	4	9	8	1	2	7	5
5	4	1	6	9	3	8	2	7
3	2	6	1	7	8	5	4	9
8	7	9	2	4	5	6	1	3
9	5	3	8	1	2	7	6	4
4	1	8	7	3	6	9	5	2
7	6	2	4	5	9	1	3	8

बायें से दायें:-

1. अक्षयकुमार, खीना टंडन की 'राजी राजी मैं हूँ राजी' गीत वाली फिल्म-3

4. 'उनके ख्याल आये तो' गीत वाली देव आनंद, मधुबाला की फिल्म-2,2

6. मिथुन, मधु की 'हमन वालों से ये दिल बचाये' गीत वाली फिल्म-5

7. 'ओकफो जलता है बुझता है' गीत वाली मनी डेओल, सोहेल, सुनील शेट्री, जॉन अब्राहम, नौहीद की फिल्म-3

9. अमिताभ, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा की 'अगर मैं कहूँ' गीत वाली फिल्म-2

11. 'गवाह हूँ चाँद तारे' गीत वाली सनी डेओल, मीनाक्षी शेशाद्रि की फिल्म-3

13. अनिलकपूर, माधुरी दीक्षित की 'एक बात मान लो तुम' गीत वाली फिल्म-2

14. 'साँसों का चलना' गीत वाली सनी, सलमान, करिश्मा, तब्बू की फिल्म-2

15. सनी डेओल, फरहा की 'रूठ पिया मिलन की आई' गीत वाली फिल्म-3

17. 'तूనे औ सीनीले ऐसा' गीत वाली गजकुमार, विनोद, प्रिया की फिल्म-4

19. जिमी शेरगिल, इरफान, ऋषिता की 'आँखें भी होती' गीत वाली फिल्म-3

21. 'आये तुम याद मुझे' गीत वाली अमिताभ, जया भद्रुदी की फिल्म-2

22. फिल्म 'इश्क इक इश्क' में देव आनंद के साथ नायिका कौन थी-3

23. 'फूलों से जो खुशबू आये' गीत वाली रघुशंत, ऐश्वर्या राय की फिल्म-2

24. फिल्म 'हुत्तू' में नायक कौन था-3

25. 'मेरा मन क्यों तुझे चाहे' गीत वाली अमित खान, मनीषा की फिल्म-2

27. अमित, टिवंकल की 'कमरिया लचके रे' गीत वाली फिल्म-2

29. 'चोरी चोरी काँई आये' गीत वाली फारूख शेख, पूनम दिल्ली की फिल्म-2

30. अमिताभ, रजनीकांत, माधवी की 'रोते रोते हँसना' गीत वाली फिल्म-2,3

31. दिलीपकुमार, नरीकी

फिल्म वर्ग पहेली-2073

- | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 6 | | | | | |
| 7 | 8 | | | 9 | | 10 |
| | | 11 | 12 | | 13 | |
| 14 | | | 15 | 16 | | |
| | 17 | 18 | | 19 | 20 | |
| | 21 | | | 22 | | |
| 23 | | 24 | | | 25 | 26 |
| | 27 | | | 28 | | |
| 29 | | 30 | | | | |

ऊपर से नीचे:-

 - दिव्योपकुमार, नर्सिंह की फिल्म-3
 - ऋषिकपूर, अब्राहाम, जूही की 'तरी आँखों का दीवाना' गीत वाली फिल्म-3
 - 'पी कर संकर जी की बूढ़ी' गीत वाली ऋषिकपूर, नीलम की फिल्म-4
 - राजकुमार, धर्मेन्द्र, मीना की 'मेरे भैया मेरे चंदा' गीत वाली फिल्म-3
 - 'अपनी चाहतों पे काबू' गीत वाली जॉन अब्राहम, उदिता की फिल्म-2
 - अब्राह, सैफ, स्वीना, सोनाली की फिल्म-3
 - 'मैं तेरे मन की मैना' गीत वाली अजय देवगन, सैफ, रुद्रा की फिल्म-4
 - अमोल पालेकर, रंजित की 'नाचो गाओ गोंज' गीत वाली फिल्म-3
 - 'मेरे यार ये हान हो' गीत वाली शशिकपूर, जीतेंद्र, रेखा की फिल्म-3
 - 'हर गोरी गनी' गीत वाली वहीदा, अमिताभ, जीनत, पवीन की फिल्म-3
 - 'रोज रोज आँखों तले' गीत वाली फिल्म-2
 - 'हर मस्ती में' गीत वाली फिल्म-2
 - 'कई बार यूं भी देखा है' गीत वाली अमोल पालेकर, विद्या की फिल्म-5
 - नसीरुद्दीनशाह, रसिता पाठिल, नताशा की 1982 की एक फिल्म-3
 - 'ओ रातों के' गीत वाली किंशोर कुमार, मीनाकुमारी की फिल्म-2,2
 - अमिताभ, संजीव, हेमा, शर्मिला की फिल्म-3
 - 'नैनों मेरे हेवबूब के' गीत वाली अक्षयकुमार, उदितकल रवि की फिल्म-2

यूक्रेन जंग की तुलना ब्रेकिस्ट से करने पर ब्रिटेन के पीएम जॉनसन हुए आलोचना के शिकाय

लंदन ।

युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की पर रुस की बढ़ती आक्रमकता को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी तुलना ब्रेकिस्ट की तो उत्तेज व्यापक आलानाम का शिकाय होना पड़ा। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट ने रिवार को दी। शनिवार को ब्लैकपूल में कंजर्वेट पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जॉनसन ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि यूक्रेन के

लोगों की तरह इस देश के लोगों के पास भी विकल्प है कि वे हर बार आजादी का चुनाव करें। मैं आपको हाल के क्रांतिकारी उत्तराम शहर उदाहरण दे सकता हूं।’ जब ब्रिटिश लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में ब्रेकिस्ट के लिए मतदान किया तो मैं ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ था व्योंकि वे विविधियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चीजों को अलग तरह से करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं और

जीवन को खारे में डालने के साथ तुलनीय नहीं है और ये अल्जिब तथा यह है कि यूक्रेनियां यूरोपीय संघ में समित होने की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। रक्षा चयन समिति के अध्यक्ष, कंजर्वेट व सांसद टोकियास एलवुड ने कहा कि पुतिन के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेनी लोगों की लड़ाई हुए। पाकिस्तानी सेना के पांछे ये मीडिया एंड पीआर विंग आईएस्पीआर ने जानकारी दी कि सियालकोट मिलिट्री बेस में अचानक आग लग गई, जिससे यह हादसा हो गया, हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले

सिलसिलेवार विस्फोटों से दहला सियालकोट मिलिट्री बेस, मिसाइल विस्फोट से

सियालकोट ।

पाकिस्तान के सियालकोट में रविवार दोपहर सिलसिलेवार धमाकों की गूंज सुनाई दी। सियालकोट रित पाक सेना के लिए लड़ रहे हैं। रक्षा चयन समिति के अध्यक्ष, कंजर्वेट व सांसद टोकियास एलवुड ने कहा कि पुतिन के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेनी लोगों की लड़ाई हुए। पाकिस्तानी सेना के पांछे ये मीडिया एंड पीआर विंग आईएस्पीआर ने जानकारी दी कि सियालकोट मिलिट्री बेस में अचानक आग लग गई, जिससे यह हादसा हो गया, हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले

जाने के बाद यह मिसाइल बेकाबू बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो गई और सियालकोट में जा दो विपक्षी दलों द्वारा उनकी सकारात्मक गिरी। इस घटना के कई वीडियोज के खिलाफ देश की संसद में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इमरान खान अपने ही सत्तारूप नामांकनों की ओर से पोस्ट किए गए हैं। धमाकों के बाद एक बड़ी आग जलती हुई देखी गई। अभी तक विस्फोटों में से पांछे पीआर विंग आईएस्पीआर ने जानकारी दी कि सियालकोट मिलिट्री बेस में अचानक आग लग गई, जिससे यह हादसा हो गया, हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले

संक्षिप्त समाचार



रूसी विदेश मंत्री लाव्रोव का दावा-
अमेरिका की ओर की रूस की शर्तों मानने की
इजाजत नहीं देता

डेटेनेट भी बरामद किए गए हैं।



विभाग ने एक बायान में कहा, ‘एक्यूआईएस और टीटीपी के पांच आतंकवादियों को प्रांत के विभिन्न हिस्सों से गिरफतार किया गया है, जहां वे कानून प्रवर्तन कर्मियों और सरकारी भवनों पर हमले की योजना बना रहे थे।’

एक्यूआईएस के दो आतंकवादियों क्रमशः बकास जकीर और मुहम्मद रहमतुल्लाह को गिरफतार किया गया है। एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य इस्लामिक देश स्थापित करने

के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, यमानार और बाल्कानिया की सरकारों से लड़ना है। विभाग ने कहा कि अब तीन आतंकवादियों- अमीरुल्ला मुजहिद, अबिद-उर-रहमान और टीटीपी के मुहम्मद जहांगीर को क्रमसः पाजाब के सरकारी भवनों में बाल्कानिया की सरकारी भवनों पर हथापाले की गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआईएस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य गिरफतार किया गया है।

एक्यूआई

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर आयोजित हुआ

91 वां आरटीआई वेबिनार

आवेदकों का तर्क की जानकारी के पीछे कारण बताना उचित नहीं, वहीं कोर्ट के आदेश की हुई समीक्षा और कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं,

कोर्ट का हर आदेश विशिष्टपूर्ण

National Breaking

रीवा मध्य प्रदेश

आरटीआई कानून को आमजन तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के दरमियान प्रारंभ हुआ सूचना का अधिकार का राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार अपने 91 वें पड़ाव पर पहुंचा। इस बीच मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप एवं माहिती अधिकार मंच मुंबई के संयोजक भास्कर प्रभु सम्मिलित रहे।

कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हुई की क्या सूचना प्राप्ति के लिए लोक सूचना अधिकारियों को आवेदक के द्वारा कोई कारण बताया जाए? उपस्थित आवेदकों ने तो

तर्क दिए कि आरटीआई कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी सूचना की प्राप्ति के लिए कोई भी कारण नहीं बताया जाना चाहिए जबकि उपस्थित सूचना आयुत्तमं और अन्य एक्सपर्ट ने बताया कि अभी हाल ही में श्रीमती प्रतिभा सिंह नामक जज का एक एक आदेश आया जिसमें यह कहा गया की निजी जानकारी के लिए कारण बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए जबकि उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट के इस सिद्धांत को लागू करेंगे तो आने वाले समय में हर किसी

गांधी ने कहा कि क्या हमें अब बोलने के लिए भी कारण बताना पड़ेगा? श्री गांधी ने कहा की सूचना चाहे व्यापक जनहित की हो अथवा किसी के अपने इंस्ट्रेट की हो उसके लिए कारण बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए जबकि उन्होंने कहा कि आप कारण बताइए तब जानकारी पाइए।

जाएगा और ऐसे में कोई भी जानकारी आवेदकों को नहीं दी जाएगी क्योंकि लोक सूचना अधिकारी तो बस मात्र इसी का बहाना बनाएंगे कि आप कारण बताइए तब जानकारी पाइए।

और किसी मामले विशेष पर आधारित होते हैं और यदि वह परिस्थितियां आरटीआई आवेदनों में लागू न हो तो यह आवश्यक नहीं की हर एक कोर्ट के आदेश को मानकर आंख मूंदकर उसी प्रकार से उसका निराकरण किया जाए। प्रकरण के अवगत करा सकते हैं और उनके मामलों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाते हैं। उन्होंने इसी प्रकार अन्य तथ्यों का हवाला देते हैं

हुए मामले पर अपने विचार रखे और साथ ही विभिन्न राज्यों और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से उनके मंडल से संबंधित आवेदकों के जवाब दिए। आत्मदीप ने बताया कि उनके पास और माहिती अधिकार मंच के संयोजक भास्कर प्रभु ने भी उपस्थित आवेदकों के जिजासा और प्रश्नों के कर्मचारी के 20 लाख स्पष्ट की रुक्ति हुई पेमेंट भी दिलवाया था।

इसी प्रकार भास्कर प्रभु ने भी इन मुद्दों पर अपने विचार रखें और कहा कि आज धारा 4 के प्रावधान लागू न होने की वजह से इन अधिक आरटीआई कानून में किसी को मुआवजा दिलवाने अथवा लग रहे हैं। धारा 4 बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन यदि हो जाए तो आरटीआई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा किया गया जबकि सहयोगियों में छत्तीसगढ़ से देवेंद्र अग्रवाल, जबलपुर हाईकोर्ट से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और वरिष्ठ पतकार मुंगेंद्र सिंह सम्मिलित रहे।

देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी जिजासा और प्रश्नों का जवाब पाया।



Ajay Upadhyay, SIC, UP



Shaliesh Gandhi

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा क्या हमें बोलने के लिए भी कारण बताना होगा?

KCS OFFERS YOU

- 1 WEB DEVELOPMENT**
- 2 APP DEVELOPMENT**
- 3 DIGITAL MARKETING**
- 4 SEO**
- 5 BUSINESS SOLUTIONS**

KRANTI CONSULTANCY SERVICES

GROW YOUR BUSINESS WITH KCS

WE PROVIDE

- WEBSITE DEVELOPMENT**
- APP DEVELOPMENT**
- DIGITAL MARKETING**
- SEO**
- BUSINESS SOLUTIONS**

Contact Us :
+91-9537444416

